

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 23, बुधवार, शके 1948- मई 13, 2026 Vaisakha 23, Wednesday, Saka 1948- May 13, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 19, 2025

संख्या प.9(29)राज-1/2025-25853:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, **बीकानेर** एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **बीकानेर जिले की तहसील हदां, कोलायत एवं बज्जू** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार है:-

क्र सं	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (में.है)
			नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर / हदां	भेलू / हदां	भेलू LG Code 69570	8169. 41	3092	थार नगर Thar Nagar	540.83	264	3	7628.5 8
2		नोखडा / हदां	नोखडा LG Code 69535	8451. 66	3133	मगरा गांव Magra Ganv	1096.0 7	464	5	7355.5 9
3		रावनेरी / कोलायत	लाडखा उर्फ नयागांव LG Code	3552. 42	1105	नयागांव मगरा Nayaganv Magra	24.24	255	14	3528.1 8

			69532							
4	बीकानेर / कोलायत	बीठनोक / कोलायत	बीठनोक LG Code 69444	2758 1.88	5480	धूरकोट नगर Dhurkot Nagar	847	257	6	26734. 88
5		गडियाला / कोलायत	गडियाला LG Code 69474	8808. 24	3627	रिण मढ Rin Madh	674.91	675	3	8133.3 3
6		रणधीसर / कोलायत	नोखा ऊर्फ दैया LG Code 69396	3171	1299	बीकाणा नगर Bikana Nagar	955	301	10	2216
7	बीकानेर / बज्जू	बांगडसर / बज्जू खालसा	बांगडसर LG Code 69391	9469	6865	5 डी.ओ.बी. बी. 5 DOBB	366	224	15	9103
8		गिरान्धी / बज्जू खालसा	गिरान्धी LG Code 69473	1207 0	2336	खिरखिडी Khirkhi di	330	537	8	11740

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,
हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।